



प्रस्तावना

हिमालय की तलहटी में स्थित नवसृजित राज्य उत्तराखण्ड के रमणीक स्थानों व विहंगम दृश्यों से आच्छादित दूनघाटी क्षेत्र में देहरादून नगर एवं मसूरी सदियों से आकर्षण का केन्द्र बिन्दु रहे हैं। इन दोनों नगरों के सुनियोजित विकास एवं आवासीय समस्या के निदान हेतु उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग-5 से जारी अधिसूचना संख्या-2581/11-5-19-(1) डी0ए0/84 दिनांक 29-10-84 के द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी। उत्तराखण्डराज्य का महत्वपूर्ण नगर (अस्थाई राजधानी) होने के कारण देहरादून नगर में जनसंख्या में भी उत्तरोत्तर अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है।

घोषित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमशः देहरादून विकास क्षेत्र, जिसमें देहरादून नगर समूह एवं देहरादून में 172 राजस्व ग्रामों तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं में स्थित मसूरी नगर समूह तथा इसके 13 राजस्व ग्रामों को मसूरी विकास क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक हस्तपुस्तिका बनाने का प्रयास किया गया है ताकि प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों में पारदर्शिता, जबावदेही, जन-सहभागिता एवं नियमों की जानकारी से सम्मानित नागरिकों को अवगत कराया जा सके एवं जन-सामान्य इसका लाभ उठा सके। प्राधिकरण जन-आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का लाभ देने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि संस्था के प्रति उनका विश्वास बना रहे।

यह पुस्तिका मसूरी देहरादून विकास क्षेत्र के समस्त सम्मानित नागरिकों, विशेषकर ऐसे नागरिकों, जो भवन निर्माण, भूमि विकास, ग्रुप हाउसिंग, एकल आवासीय भवन निर्माण इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हों, हेतु एक मार्ग-दर्शिका के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, ताकि उनकी आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यवाही ससमय की जा सके तथा आम नागरिक को प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सके।

इस हस्तपुस्तिका में शासन के निर्देशानुसार 17 मैनुवल्स के संकलन को प्रस्तुत किया गया है। यह प्रयास रहा है कि सरल भाषा में इसको प्रस्तुत किया जाये ताकि आम नागरिक इसका लाभ उठा सके।